न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

क्रदमा नम्बर 63 / 2009

दायर दिनांक–02.07.2009

1. जगदीश दास पुत्र किशोर दास जाति स्वामी निवासी किरोड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादी

बनाम

1. धूड़ाराम पुत्र मालाराम
2. झाबरमल पुत्र मालाराम
3. शिवपाल पुत्र मालाराम
4. बाबूलाल पुत्र धूड़ाराम
5. भंवरलाल पुत्र झाबरमल (मृतक)
6. नागरमल पुत्र धूड़ाराम समस्त जाति माली निवासी किरोड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
7. हरीश पुत्र नाथूदास
8. महेश पुत्र नाथूदास
9. गणेश पुत्र स्व0 नाथूदास समस्त जाति स्वामी निवासी किरोड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अमर सिंह शेखावत
वकील प्रतिवादी :– श्री आनन्दी लाल सैनी

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक–24.07.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वादी के भाई नाथूदास का देहांत हो चुका है प्रतिवादीगण नम्बर 7 लगायत 9 स्व0 नाथूदास के लड़के है उनके नही आने से उन्हें इस दावे में तरदीदी प्रतिवादी बनाया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 ग्राम किरोड़ी के स्थायी निवासी है और एक ही परिवार के सदस्य है इनकी भूमि खसरा नम्बर 56, 95, 122, 123, 124 रकबा क्रमशः 0.06, 0.31, 0.69, 0.40, 0.66 है0 कुल रकबा 2.12 है0 ग्राम किरोड़ी की तन में स्थित है उपरोक्त वादी व प्रतिवादी नम्बर 7 लगायत 9 की पीढियों से खातेदारी की काश्त व कब्जाशुदा है। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 6 का वादी की जमीन के पूर्व व दक्षिण में आई हुई है वादी व प्रतिवादीगण 7 लगायत 9 की उपरोक्त जमीन के चारों और कांटो की बाड़ लगी हुई है जो बहुत पुरानी है।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 झगड़ाल प्रवृति के आदमी है और ये कानुन को हाथ में लेकर वादी व प्रतिवादी नम्बर 7 लगायत 9 की उपरोक्त भूमि के पूर्वी व दक्षिणी कांटो की बाड़ को नाजायज रूप से हटाने को अमादा है और वादी व प्रतिवादी नं0 7 लगायत 9 की भूमि पर जबरन कब्जा करने को अमादा है। कल दिनांक 28.06.2009 को प्रतिवादी नं0 1 लगायत 6 ने वादी को इस बाबत धमकी दी और ये भी कहा कि हम तुम्हारी बाड़ हटाकर तुम्हारी जमीन पर नाजायज कब्जा करेंगे इस प्रकार प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 6 कानून को हाथ्ज्ञ में लेकर वादी की जमीन पर कब्जा करने को अमादा है। यदि प्रतिवादी अपनी इस नाजायज हरकत में सफल हो गये तो वादी को अपार क्षति होगी जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से असंभव होगा वादी को व्यर्थ की मुकदमें बाजी में फंसना होगा जिसमें समय व धन की बर्बादी होगी। वादी की जमीन डेमेज व वेस्टेज हो जायेगी ऐसी हालत में वादी के लिए दावा बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी नं0 1 लगायत 6 को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि ग्राम किरोड़ी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 56, 95, 122, 123, 124 रकबा क्रमशः 0.06, 0.31, 0.69, 0.40, 0.66 है0 कुल रकबा 2.12 है0 में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं डाले न किसी अन्य से डलवायें।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

12

जबाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि:– वादी व प्रतिवादी की भूमि अलग अलग है एवं खातेदारी भी अलग दर्ज है। जिसमें वादी को उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। वादीगण व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। लेकिन वादी इस वाद पत्र की आड़ में जबाबदेहंदा की भूमि को हड़पना चाहते है। इसी नियत से वादी ने मिथ्या दावा पेश किया है। वादी ने जबाबदेहंदा पर आरोप लगाये है वे मिथ्या व बेबुनियाद है। जबाबदेहंदा ने वादी को कभी कोई धमकी नही दी क्योंकि वादी व जबाबदेहंदा की भूमि अलग अलग है। जबाबदेहंदा अपने हक हिस्से की भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए हमेशा से ही तैयार है वादी को क्षति होने की कोई संभावना नही है वादी यदि झूठी मुकदमें बाजी करेगा तो खामियादा वादी स्वयं भुगतेगा वादी का दावा खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी जबाबदेहंदा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा रहे थे लेकिन वादी ने आकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया जिससे भूमि की नपती नही करवाई जा सकी।

अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं वादी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 एवं जबाबदेहंदा की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर जबाबदेहंदा को अपने खातेदारी की भूमि के लिए पत्थरगढ़ी की इजाजत दी जावे एवं वादी को पाबंद फरमाया जावे कि वह जबाबदेहंदा की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने से नही रोके।

जवाब देही पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादी व प्रतिवादी नं0 7 लगायत 9 की जमीन खसरा नम्बर 56, 95, 122, 123, 124 रकबा क्रमशः 0.06, 0.31, 0.69, 0.40, 0.66 है0 कुल रकबा 2.12 है0 वाके ग्राम किरोड़ी वादी की खातेदारी की कब्जाशुदा है।

   भा.स.वादी

2. आया वादी इस जमीन बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

   भा.स.वादी

3. दादरशीः–

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की ओर से वकील श्री आनन्दी लाल सैनी उपस्थित न्यायालय होकर जबाब दावा पेश किया।

प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा पेश होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। **वादी** की ओर से शहादत वादी हेतु जगदीश के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। शहादत प्रतिवादी में धुड़ाराम ने उप0 होकर चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2063–66 आदि दस्तावेज पेश किये।

शहादत पेश होने बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील वादी ने वाद–पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 को वादी के हक हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की दखलदांजी नही देने हेतु पाबंद किया जावे। जबाब बहस में वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि वह वादी की भूमि में कोई दखंलदाजी नही कर रहा है बल्कि उल्टा वह अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जिसको वादी बार बार रोक रहा है तथा इसलिए उक्त वाद पत्र पेश किया है। अतः मुझे मेरी भूमि में सीमाज्ञान और पत्थर गढी करवाने से नही रोकने हेतु वादी को पाबंद किया जावे। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तातवेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

- तनकी नम्बर 1 व 2 :– उक्त तनकियां एक दुसरे से सम्बन्धित है इसलिए उपरोक्त तनकियों का एक साथ विवेचना कि जा रहा है। तनकी नम्बर 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी नम्बर 1 व 2 में वादी ने विवादित भूमि के संबंध में वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की दखलंदाजी नही देने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की रिलिफ चाही है। चुंकि प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपने खातेदारी भूमि में पड़ौसी काश्तकार को दखल नही देने हेतु पाबंद करवाने का अधिकारी होता है लेकिन इस प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य सीमाज्ञान का विवाद है। वादी व प्रतिवादीगण दोनों की भूमि अलग अलग है दोनों भूमियों का सीमाज्ञान नही हुआ है। सीमाज्ञान होने के बाद ही दोनों पक्षों के हक हिस्से की भूमि के

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नदबई

सीमाचिन्ह निश्चित हो पायेंगे। वादी व प्रतिवादीगण बहस में सीमाज्ञान करवाने हेतु सहमत है। अतः सीमाज्ञान करवाये जाने के पश्चात प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर दखलंदाजी पैदा नही करने हेतु पाबंद किया जाना उचित है। वादी उक्त तनकीयों को साबित करने में आशिंक रूप से सफल हुए है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वाद वादी सशर्त स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम किरोड़ी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 56, 95, 122, 123, 124 रकबा क्रमशः 0.06, 0.31, 0.69, 0.40, 0.66 है0 कुल रकबा 2.12 है0 भूमि का सीमाज्ञान करवाया जावे तथा सीमाज्ञान के पश्चात वादी के हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखंलदाजी पैदा नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। वादी को हिदायत दी जाती है कि प्रतिवादीगण को अपनी भूमि के सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने हेतु नही रोका जावे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा संः–95 / 2009 **(जगदीश बनाम धुड़ाराम आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **हवाई सिंह यादव** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 24.07.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी आंशिक रूप स्वीकार किया जाता है। वाद वादी सशर्त स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम किरोड़ी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 56, 95, 122, 123, 124 रकबा क्रमशः 0.06, 0.31, 0.69, 0.40, 0.66 है0 कुल रकबा 2.12 है0 भूमि का सीमाज्ञान करवाया जावे तथा सीमाज्ञान के पश्चात वादी के हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखंलदाजी पैदा नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। वादी को हिदायत दी जाती है कि प्रतिवादीगण को अपनी भूमि के सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने हेतु नही रोका जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.07.2024 को जारी की गई।

24/7/24

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा॰ट्रे॰) नवलगढ

मोहर

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00